डाक-व्यय की पूर्व-अदायगी बिना डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत. अनुमति-पत्र क्र. भोपाल-505/ डब्ल्यू. पी.

पंजी क्रमांक भोपाल डिवीजन
122 (एम. पी.)

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 471] भोपाल, सोमवार, दिनांक 30 सितम्बर 1996—आश्विन 8, शक 1918

उच्च शिक्षा विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 30 सितम्बर 1996

क्र. एफ-73-6-96-सी-3-36.—शासकीय महाविद्यालयों के प्रबंधन में जन भागीदारी की दृष्टि से शासन द्वारा निम्नलिखित निर्णय लिया गया है—

(क) शासकीय महाविद्यालयों में जन भागीदारी सुनिश्चित करने के लिये उनके स्थानीय प्रबंधन को एक समिति को सौंपा जाएगा. यह समिति "मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973" के अन्तर्गत पंजीकृत की जाएगी.

(ख) इस समिति को यह अधिकार होगा कि वह महाविद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा के विकास के लिये स्थानीय नागरिकों से स्वेच्छिक रूप से संसाधन एकत्रित करे, विभिन्न गतिविधियों पर फीस लगाए या बढ़ाए और कन्सलटेंसी आदि के धन एकत्रित करे. इन संसाधनों का उपयोग यह समिति महाविद्यालय की विभिन्न गतिविधियों के लिये कर सकेगी [illegible] इन [illegible] के जरिये महाविद्यालय में अच्छा बौद्धिक पर्यावरण बनाने में सहायक होगी. मध्यप्रदेश [illegible] अधिनियम, 1973 के प्रावधानों के अन्तर्गत जो शासकीय महाविद्यालय स्वशासी घोषित कर दिये गये हैं, उनकी प्रबंध समिति को अकादमिक मामलों में भी स्वायत्तता होगी, अर्थात् ऐसी समितियां स्थानीय स्तर पर प्रवेश नियम बनायेगी, पाठ्यक्रमों का निर्धारण करेंगी अध्ययन-अध्यापन परीक्षा संचालन एवं मूल्यांकन की नई पद्धतियों का विकास करेंगी.

(ग) समिति के कार्य कलापों का प्रबंधन सामान्य परिषद् के निर्देश एवं नियंत्रण में किया जायेगा. यह समिति की सर्वोच्च सभा होगी. इस सभा का अध्यक्ष राज्य शासन द्वारा नियुक्त किया जायेगा. राज्य शासन संबंधित नगर [illegible] के सदस्य विधायक अथवा सांसद में से किसी को अध्यक्ष नियुक्त

करेगा. सामान्य परिषद् का उपाध्यक्ष कलेक्टर अथवा उनका प्रतिनिधि होगा. सामान्य परिषद् में विधायक, सासद अथवा उनके नामजद प्रतिनिधि सदस्य होगे.

इस परिषद् मे मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा के उत्पाद का उपयोग करने वाले स्थानीय संगठन, उद्योग, अभिभाषक, पूर्व विद्यार्थियो, स्थानीय संस्थाओ, दान-दाताओं, कृषको विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एवं पोषक शालाओ आदि के प्रतिनिधि सदस्य होगे. सामान्य परिषद् में अभिभावको एव पूर्व छात्रों के दो-दो प्रतिनिधि होगे.

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग में से प्रत्येक उस वर्ग का एक अभिभाषक, जिसके कोई सदस्य अन्य श्रेणियो मे न आये हो, परिषद् का सदस्य नामांकित किया जायेगा.

परिषद् मे एक महिला अभिभाषक को सदस्य नामांकित किया जायेगा यदि अन्य किसी श्रेणी में महिला न आई हो.

दानदाताओ के प्रतिनिधि का नामांकन निम्नलिखित मापदण्ड के आधार पर दानदाताओं में से किया जाएगाः—

1. दस हजार से कम आबादी वाले क्षेत्रों द्वारा दस हजार रुपये से अधिक दान देने वालों मे से.

2. दस हजार से पचास हजार तक की आबादी वाले स्थान में रुपये पच्चीस हजार से अधिक दान देने वालो मे से.

3. पचास हजार से एक लाख तक की आबादी वाले क्षेत्रों में, रुपये पचास हजार से अधिक दान देने वालों में से.

4. एक लाख से अधिक आबादी वाले क्षेत्रों में एक लाख रुपये से अधिक दान देने वालों मे से. सामान्य परिषद् मे नामजद किये जाने वाले प्रतिनिधि, अध्यक्ष द्वारा नामजद किये जाएं. महाविद्यालय के प्राचार्य इस समिति के सदस्य सचिव होगे.

साधारणतः सामान्य परिषद् की बैठक वर्ष में दो बार होगी. आवश्यकतानुसार परिषद् की विशेष बैठक भी बुलाई जा सकेगी. परिषद् नीति-निर्धारण के साथ ही महाविद्यालय की गतिविधियो की सामान्य रूप से देखरेख करेगी. परिषद् के कार्य-कलापो की प्रक्रिया विस्तृत रूप से निर्धारित कर दी गई है ताकि परिषद् के संचालन में किसी प्रकार की कठिनाई न हो.

(घ) सामान्य परिषद् के अतिरिक्त समिति के कार्य कलापों के समुचित प्रबंधन के लिये प्रबंध समिति एव वित्त समिति भी होगी.

(ङ) प्रबंध समिति सभी प्रबंध संबंधी मामलों के लिये जिम्मेदार होगी तथा यह सामान्य परिषद् के कार्य सम्पादन मे भी सहायक होगी. सामान्य परिषद् का अध्यक्ष ही प्रबंध समिति का भी अध्यक्ष होगा. संभागीय मुख्यालय मे स्थित महाविद्यालयो मे जिलाध्यक्ष एवं अन्य महाविद्यालयो मे उच्च शिक्षा आयुक्त द्वारा मनोनीत शिक्षा शास्त्री उपाध्यक्ष होगे. महाविद्यालय के प्राचार्य सदस्य सचिव होगे. लोक निर्माण विभाग के स्थानीय कार्यालय के प्रमुख महाविद्यालय के दो शिक्षक, विश्वविद्यालय तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रतिनिधि, दानदाताओ, एक अशासकीय संगठन तथा स्थानीय औद्योगिक संगठन के प्रतिनिधि इसके सदस्य होगे. प्रबंध समिति की बैठक आवश्यकतानुसार होगी किंतु तीन माह मे कम से कम एक बार अवश्य होगी.

(च) वित्त समिति के अध्यक्ष प्राचार्य होगे. बैंकिंग/वित्तीय कार्य में अनुभवी व्यक्ति, महाविद्यालय के दो वरिष्ठ शिक्षक, संबंधित कोषालय अधिकारी या इनके द्वारा मनोनीत उप कोषालय अधिकारी इस समिति के सदस्य होगे. वित्त समिति महाविद्यालय मे वित्तीय अनुशासन बनाये रखने के कार्य में सहायता करेगी.

(छ) समिति द्वारा स्थानीय रूप से एकत्रित किये गये वित्तीय संसाधनों को किसी अनुसूचित बैंक में समिति की निधि के रूप मे रखा जायेगा. इस निधि का व्यय समिति द्वारा स्वयं निर्धारित नियमों प्रक्रिया के अनुसार

महाविद्यालय की अधोसंरचना के विकास के लिये किया जायेगा. संस्था की निधि का लेखा परीक्षण सामान्य परिषद के द्वारा नियुक्त चार्टड अंकेक्षणों द्वारा प्रतिवर्ष किया जायेगा. महाविद्यालय को राज्य शासन से प्राप्त सभी राशियों की व्यय व्यवस्था एवं लेखा संधारण तथा अंकेक्षण शासकीय नियमानुसार होगी.

समिति की निधि का उपयोग महाविद्यालय के विकास के लिये किया जायेगा. सोशल, गेदरिंग, निर्वाचन, स्वागत, विज्ञापन जैसी गैर अकादेमिक गतिविधियों के लिये नहीं किया जाएगा. इसके लिए नियम बनाये जायेंगे.

समिति द्वारा निर्धारित शिक्षा शुल्क में वृद्धि की जा सकेगी. तथा समिति नये शुल्क भी लगा सकेगी और आय वृद्धि के अन्य उपाय भी कर सकेगी. ये सभी अतिरिक्त आय समिति की निधि मे सम्मिलित की जायेगी.

(ज) मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्रावधानों के अनुसार जो शासकीय महाविद्यालय स्वशासी घोषित कर दिये गये है उनमें अकादमिक परिषद् और अध्ययन मण्डल भी होंगे. अकादमिक परिषद् एवं अध्ययन मण्डल महाविद्यालय के अकादमिक कार्य कलापों में स्वायत्तता एवं समुचित प्रबंध को सुनिश्चित करेंगे. इनकी सदस्यता शिक्षा शास्त्रियो एवं विशेषज्ञों तक ही सीमित रहेगी.

(झ) समिति अपने कार्य के लिये कोई [illegible] नियुक्त नहीं करेगी. महाविद्यालय के किसी एक कर्मचारी को ही समिति की राशि में से मानदेय देकर [illegible] करेगी.

(त) महाविद्यालय के प्राचार्य एवं महाविद्यालय के [illegible] शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक कर्मचारियों की नियुक्तियां राज्य शासन द्वारा शासकीय महाविद्यालयों के विद्यमान स्टाफ में से वर्तमान नियमों के अनुसार की जावेगी. भविष्य में ये अधिकार उन समितियों को दिये जायेंगे, जिनकी उपलब्धियां उल्लेखनीय होगी, परन्तु शासन की अनुमति के बिना किसी नये पद का निर्माण नहीं किया जा सकेगा.

(थ) मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 के प्रावधानों के अतिरिक्त यदि शासन चाहेगा तो समिति की जांच करा सकेगा व ऐसा निर्देश दे सकेगा जैसा शासन उपयुक्त समझता है.

(द) यह व्यवस्था प्रदेश के समस्त शासकीय महाविद्यालयों में लागू की जायेगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. डी. अग्रवाल, उपसचिव.

विनियम

प्रबंधन समिति समिति शासकीय महाविद्यालय कवर्धा मध्यप्रदेश के विनियम

सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 की धारा 6(3) के अधीन परिभाषाऐं:-

इन विनियमों, में, यदि विषय या प्रसंग के अनुसार अन्यथा अभीष्ट न हो तो

(क) महाविद्यालय से तात्पर्य है, (नाम) ---------------- शासकीय स्नातक/स्नातकोत्तर महाविद्यालय कवर्धा

(ख) समिति से तात्पर्य है, (नाम) शासकीय महाविद्यालय स्थानीय प्रबंधन समिति .... कवर्धा

(ग) राज्य शासन से तात्पर्य है, मध्यप्रदेश शासन

(घ) विश्वविद्यालय से तात्पर्य है, (नाम) पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर

(ङ) कुलपति से तात्पर्य है, (नाम) पं. र. शु. विश्वविद्यालय का कुलपति

(च) आयुक्त से तात्पर्य है, आयुक्त, उच्च शिक्षा, म.प्र., भोपाल

(छ) प्राचार्य से तात्पर्य है, संबंधित महाविद्यालय का प्राचार्य

समिति की संरचना निम्नानुसार होगी:-

(1) सामान्य परिषद्

(2) प्रबन्ध समिति

(3) वित्त समिति

समिति द्वारा समस्त नीति निर्धारण एवं कार्य संचालन के कार्य उक्त सभाओं के माध्यम से किया जाएगा ।

ान्य परिषद

समिति के कार्यकलापों का प्रबंधन सामान्य परिषद् के निर्देश एवं नियंत्रण में किया जाएगा । यह समिति की सर्वोच्च सभा होगी ।

सामान्य परिषद में निम्नलिखित सदस्य होंगें:-

(8)

मध्यप्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय

भोपाल, दिनांक 1 अक्टूबर, 1996

3/6/96/सी -3/38

ाचार्य,
समस्त शासकीय महाविद्यालय,
———————— मध्यप्रदेश.

य:- मध्यप्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में जनभागीदारी ।

राज्य शासन के निर्णयानुसार प्रदेश के समस्त शासकीय महाविद्यालयों के प्रबंधन में जनभागीदारी की दृष्टि से उन्हें म.प्र. सोसायटी जस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 के अन्तर्गत पंजीकृत किया जायेगा । जनभागीदारी की विस्तृत रूपरेखा संलग्न अधिसूचना .एफ-73-6-96-सी-3-36 दिनांक 30 सितम्बर 1996 में दी गई है ।

समिति के पंजीयन के लिये ज्ञापन एवं विनियम का प्रारुप भी संलग्न है । कृपया तदनुसार अपने महाविद्यालय के लिये मिति का पंजीयन म.प्र. सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 के अन्तर्गत तत्काल करने की व्यवस्था करें ।

यह योजना उच्च शिक्षा के क्षेत्र में गुणात्मक सुधार लाने एवं विभिन्न समस्याओं का स्थानीय रूप से हल ढूढ़ने का अभिनव ास है । इसकी सफलता काफी सीमा तक आपकी व्यक्तिगत रुचि एवं प्रयास पर निर्भर करेगी ।

कृपया निम्नलिखित कार्यक्रमानुसार कार्यवाही कर दिनांक 8.11.96 तक पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की व्यवस्था करें:-

(1) म.प्र. सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 के अन्तर्गत समिति का पंजीकरण — दिनांक 22.10.96 तक
(2) समिति की सामान्य सभा की प्रथम बैठक — दिनांक 01.11.96 तक

संलग्न:- उपरोक्तानुसार

(आर.रामानुजम)
सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग

क्रमांक एफ-73/6/96/सी-3/38
लिपि:-

भोपाल, दिनांक 1 अक्टूबर, 1996

सचिव, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश, मंत्रालय, भोपाल ।
विशेष सहायक, राज्यमंत्री, उच्चशिक्षा, मध्यप्रदेश, मंत्रालय, भोपाल ।
मुख्यसचिव के स्टाफ ऑफीसर, मंत्रालय, भोपाल ।
आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
समस्त अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश ।
की ओर सूचनार्थ अग्रेषित ।

(डॉ. यू.एन.अधोलिया)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी,
उच्च शिक्षा विभाग

11.10.96